मैसर्स सीताराम एवं अन्य
बनाम
राजस्थान राज्य एवं अन्य

05 अक्टूबर, 1994

[न्यायमूर्तिगण के. रामास्वामी और एन. वेंकटचलया]

उत्पाद शुल्क अधिनियमः

राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनिमय 1950– संशोधन अधिनियम– 1985 अच्छे शीरा नियंत्रण आदेश 1961 या उद्योग(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के प्रतिकुल हो कोई विसंगति नहीं है और संविधान अधिनियम के अनुच्छेद 246(3) के तहत विषय क्षमता के अंदर है।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 246(3)– राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम 1950– संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा किया गया संशोधन राज्य विधान मण्डल की विधायी क्षमता के भीतर है।

राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम 1950 के धारा–41(2)(d) में जोड़ी गई धारा 17(a) और शीरा जैसे कि 1985 में संशोधित किया गया था को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सभी विवादों पर विस्तृत विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने घोषणा की 1985 के संशोधन अधिनियम विधान मण्डल द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 की प्रवृष्टि–33(a) के तहत अधिनियमित किया गया था और राज्य विधानमण्डल उक्त अधिनिमय को लागू करने के लिए सक्षम था। शीरा नियंत्रण आदेश के खण्ड (3) , (4) और (7) के प्रावधानों के प्रतिकूल फॉर्म M1 में लाइसेंस की शर्त संख्या–3(I), (II) और 3(2) को छोड़कर/राज्य ने कोई अपील नहीं की।

इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि सूची–5 की प्रवृष्टि–52 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विकास अधिनियम 1951 को संसद द्वारा चीनी उद्योग से संबंधित अनुसूची की मद संख्या–25 द्वारा अधिनियमित किया गया थाः शीरा, चीनी की मूल मदीरा का एक उत्पाद हैः इसे केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये शीरा नियत्रण अधिनिमय 1961 द्वारा नियंत्रण किया गया था और राज्य विधायिका संशोधन अधिनियम को लागू करने की क्षमता से रहित था।

न्यायालय यह अपील खारिज करता है।

अभिनिर्धारितः शीरा नियंत्रण अधिनियम आदेश 1961 का संचालन और राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम 1950 में संशोधन करते हुए 1985 में संशोधन अधिनियम के प्रावधान ना तो एक ही क्षेत्र से संबंधित है और ना ही उनके मध्य कोई टकराव की स्थिति है। यह देखा गया है कि संशोधन अधिनियम राज्य विधायिका राज्य सूची की प्रवृष्टि–24 के साथ पूर्ण क्षेत्र वाली समवर्ती सूची की प्रवृष्टि–33(a) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया क्योंकि शीरा उद्योग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चीनी उद्योग का उप–उत्पाद है। संशोधन अधिनियम शीरा नियंत्रण आदेश के अधिगृहीत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। उनके संचालन में कोई विसंगति नहीं है और इसलिए संशोधन अधिनियम और शीरा नियंत्रण आदेश दोनों सामंजस्यपूर्ण रूप से सह– अस्तित्व में रहेंगे और अपने–अपने क्षेत्र में काम करेंगे। राज्य विधायिका ने राजस्थान राज्य के भीतर शीरा के आयात–निर्यात, परिवहन या कब्जे को विनियमित करने के लिए संशोधन अधिनिमय बनाया। इस प्रकार संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद–246(3) के तहत विधायी क्षमता के अंतर्गत है।[281–G–H, 282–A–B]

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः सिविल अपील संख्या–925/1990

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित–18.08.1989 से C.W.P. 1805/1988

आइ० मकवाना, श्रीमती रचना जोशी इस्सार(NP) अपीलार्थी की ओर से उत्तरदाताओं के ओर से अरूणेश्वर गुप्ता

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

राजस्थान उच्च न्यायालय की डीविजन बैंच की रिट याचिका संख्या–1808/1988 और दिनांकित 18.08.1989 से उत्पन्न हुए है, जोकि रिट याचिका संख्या–1340/1986 और बैंच द्वारा 17 मई, 1989 के पहले फैसले के बाद है। उच्च न्यायालय को राजस्थान उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 8, 1985 द्वारा संशोधित राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1950 की धारा41(2)(d) में जोड़ी गई धारा–17(A) और वर्ग शीरा पर आपत्ति जताई गई है। डिवीजन बैंच ने सभी विवादों पर विस्तृत विचार करने के बाद घोषणा की कि 1985 में संशोधन अधिनियम 5 भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची की प्रवृष्टि–33(a) सूची–III(समवर्ती सूची) के तहत राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित किया गया था इसलिए राज्य विधान मण्डल खण्ड–(3), (4) और (7) शीरा नियंत्रण आदेश, राज्य ने उक्त प्रावधान को राज्य विधायिका के प्रावधानों के प्रतिकूल घोषित करने के संबंध में कोई अपील नहीं की, लेकिन डीविजन बैंच के फैसले से असंतुष्ट होने के कारण अपीलकर्ता ने अपील की मांग करी जो इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 136 के तहत

स्वीकार करी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मकवाना ने इसका विरोध किया सूची–(1) (संघ सूची) की प्रवृष्टि–52 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विनियमन अधिनियम 1951 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, अनुसूची की मद 25 चीनी उद्योग से संबंधित है। शीरा चीनी का मूल मदीरा का उपोत्पाद है। इसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा–18(a) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया। शीरा नियंत्रण आदेश 1961 द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है और राज्य विधायिका संशोधन अधिनियम को लागू करने की क्षमता से रहित है। प्रस्तुत किया गया तर्क में कोई ताकत नहीं पाते हैं। संविधान की 7 वीं अनुसूची की प्रवृष्टि–52 (संघ सूची) में उद्योग से संबंधित कानून बनाने के लिए परिकल्पना की गई है, जिस पर संघ का नियंत्रण संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है, 1951 का अधिनियम इस शक्ति के प्रयोग अधिनियमित किया और धारा–18(a) केन्द्र सरकार के 1951 के अधिनियम 65 के सूचीबद्ध उद्योग की वस्तुओं को नियमित करने की शक्ति देता है, हालांकि 7 वीं अनुसूची राज्य सूची प्रवृष्टि–24 और प्रवृष्टि 8 अनुसूची राज्य विधायिका का नशीली शराब, यानि नशीली शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री से संबंधित कानून बनाने के लिए सूची–1 में प्रवृष्टि–7 और प्रवृष्टि–52 के अधीन राज्य विधायिका की आरक्षित शक्ति है। समवर्ती सूची की प्रवृष्टि–33 संसद के साथ–साथ राज्य विधायिका को व्यापार को विनियमित करने वाले कानून बनाने की शक्ति देती है और वाणिज्य और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण (a), किसी भी उद्योग के उत्पादन जहां संघ द्वारा ऐसे उद्योग का नियंत्रण संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित के समीचीन घोषित किया जाता है और ऐसे उत्पादों के सामान आयातित सामान होता है इसलिए संसद के साथ–साथ राज्य विधायिका के व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। किसी भी उद्योग में उत्पाद का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण स्पष्ट रूप से संघ सूची की प्रवृष्टि–52 के तहत प्रावधानित है। संशोधन अधिनियम की धारा–17(a) शीरे को परिभाषित करती है;

> "शीरे का अर्थ है वैक्यूम पैन द्वारा चीनी या खाण्डसारी चीनी के निर्माण का अंतिम चरण की उत्पादित मातृ कानून या गुड़ से प्रयोग या पैन खोलने की प्रक्रिया संशोधन अधिनियम की धारा–4 में प्रावधान है कि मूल अधिनियम की धारा–41 की उपधारा (2) के खण्ड(d) शब्द प्रयोग "योग्य वस्तु" के द्वारा शब्द "या शीरा" जोड़ा जाएगा। राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा–17 में यह प्रावधान है कि डिस्टलरी और गोदामों का संचालन और लाइसेंस उसमें निहित कुछ प्रतिबंध के अधीन है। जैसे कि

देखा गया है कि धारा–17(a) बिना किसी अन्य परिणाम के केवल शीरे को प्रभावित करता है। धारा–41 राज्य सरकार को प्रावधानों को पूरा करने का उद्देश्य नियम बनाने की शक्ति देती है। उत्पाद शुल्क अधिनियम या उत्पाद शुल्क राजस्व (b) से संबंधित कुछ समय के लिए लागू अन्य कानून, किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे से संबंधित करने संशोधन अधिनियम की धारा–4 के आधार पर शीरे का भी खण्ड (d) में जोड़ा गया है धारा–41 उप–धारा–2 के अधीन है।

जिससे, ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा शीरे के आयात–निर्यात, परिवहन या कब्जे को विनियमित करना है। सवाल यह है कि क्या संशोधन अधिनियम उद्योग विकास विनियमन अधिनियम या केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम–65, 1951 की शक्ति धारा–18G का प्रयोग करते हुए बनाये गये शीरा नियंत्रण अधिनियम आदेश 1961 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, संशोधन अधिनियम की धारा–17 शीरा नियंत्रण आदेश–1961 की धारा–2(a) में दी गई परिभाषा के अनुरूप है, और दिनांक 01.11.1975 से राजस्थान राज्य में लागू हुई, इसलिए सवाल यह है कि क्या धारा–4 राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम 1950 की धारा41 की धारा(2) के खण्ड (d) में शीरा शामिल करने वाले संशोधन अधिनियम, शीरा नियंत्रण आदेश या 1951 के अधिनियम 65 के तहत लागू किसी अन्य प्रासंगिक आदेश के प्रावधानों के प्रतिकूल है। शीरा नियंत्रण आदेश 1951 बिक्री पर प्रतिबंध को विनियमित करता है। खण्ड 3, प्रतिबंध या हटाना, खण्ड 4 शीरा के भण्डारण, खण्ड–5 शीरे का ग्रीडिंग, खण्ड–6 और विधायी बिक्री के लिए मूल्य निर्धारण, खण्ड–7 जैसा कि देखा गया है कि शीरा नियंत्रण आदेश के संचालन और संशोधन अधिनियम के संचालन में एक ही क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया और ना ही टकराव की स्थिति है। यह देखा गया है कि संशोधन अधिनियम राज्य विधायिका द्वारा राज्य सूची की प्रवृष्टि 24 के साथ जुड़ जाने वाली समवर्ती सूची के प्रवृष्टि33(a) के तहत शक्ति के उपयोग करने बनाया गया था क्योंकि शीरा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चीनी उद्योग का उप–उत्पाद है। संशोधन अधिनियम शीरा नियंत्रण आदेश के अधिगृहित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किया है। इसके संचालन में कोई विसंगति नहीं है और इसलिए संशोधन अधिनियम द्वारा शीरा नियंत्रण आदेश दोनों सामंजस्यपूर्ण रूप से सह–अस्तित्व में रहेंगे और

अपने–अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। राजस्थान राज्य विधायिका ने राज्य के भीतर शीरे के आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे के विसंगती करने के लिए अधिनियम बनाया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि संशोधन अधिनियम विधायिका संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत विधायिका द्वारा बनायी गई क्षमता के भीतर है। तद्नुसार अपील बिना किसी लागत के खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

अनुवाद अधिकारी–

अनिल कुमार–सप्तम
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–18, एटा।